अनुसूची 14– फारम सं0 562

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीखः– 23/06/2022 से 22:09:2022

जिला– बोकारो, संख्याः– 1

केस का प्रकारः– अतिक्रमण वाद रास्ता अवरुद्ध

आदेश की कम संख्या एवं तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3
23·06·2022	1. रिंकु रविदास पिता धनी रविदास 2. धनेश्वर रविदास पिता बिरसाही रविदास 3. नारायण रविदास पिता डोमन रविदास, ग्राम– पलागु, थाना– पेंक (नारायणपुर) का आवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें उनके द्वारा सूचित किया गया है कि सभी दर्जी मुहल्ला के लोग उसी रास्ता से आते जाते थे अभी कुछ दिनों से रास्ता यानी गढा हो गया है। यह जमीन गैरमजरूआ खास आम है। यह जमीन कुछ लोग बोलता है कि बन्दोबस्ती है। यह जमीन कैला रविदास बेच दिया है पर रसीद नहीं कटता है। यह जमुना रविदास पिता जीतन रविदास जमीन खरीदा है। बेचने वाला कैला रविदास पिता करिया चमार खरीदने वाला जमुना रविदास पिता जीतन रविदास है। रास्ता वाला गैरमजरूआ जमीन पर जमुना रविदास पिता जीतन रविदास दर्जी मुहल्ला जबरदस्ती चहार दिवारी देकर रास्ता बन्द कर दे रहा है जिससे हम सभी ग्रामीणों को आने–जाने में काफी कठिनाई होगी। उनके द्वारा गैरमजरूआ जमीन रास्ता पर अवैध कब्जा से. मुक्त करने का अनुरोध किया गया है। हल्का राजस्व उपनिरीक्षक से प्रभारी अंचल निरीक्षक के माध्यम से जॉच प्रतिवेदन प्राप्त करें। अभिलेख दिनांक 12/07/2022 को उपस्थापित करें। Anika 23/06/2022 अंचल अधिकारी, नावाडीह।	
12·07·2022	अभिलेख उपस्थापित। हल्का राजस्व उपनिरीक्षक का जॉच प्रतिवेदन प्रभारी अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त हुआ। उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि सर्वे रास्ता जनतागण के घर के सामने पी0सी0सी0 बना हुआ है। जिसपर सभी जनतागण आज भी आवागमन करते है वो रास्ता जनता के घर के बगल से पिछे की ओर जाकर अन्त हो गया है। उसके गैरमजरूआ खास भूमि जिसका खाता नं0 133, प्लॉट नं0 1980 है। जहाँ पर जयलाल दास द्वारा बॉन्ड्री के रूप में पत्थर रखा हुआ पाया गया है। जिधर से जनतागण रास्ता चाहती है। गैरमजरूआ खास भूमि पर दावा कर रहे जयलाल दास द्वारा प्रस्तुत भूमि कागजात का जॉच किया तो पाया कि अंचल कार्यालय नावाडीह के बन्दोबस्ती 447, वर्ष 1963 में खाता सं0 133, प्लॉट सं0 1980, रकबा 2.30 ए0 का मालगूजारी निर्धारित एवं फर्द रिर्पोट अमीन में रैयत करिया चमार पिता खेदू चमार के नाम से दर्ज है। जिसका लगान रसीद वर्ष 1964–65 तक निर्गत है। पंजी ।। का जॉच किया दर्ज नहीं पाया। भूमि कागजात ही छायाप्रति प्रतिवेदन के साथ संलग्न है।	

Scanned with CamScanner

श का क्रम ख्या एवं तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3
	गैरमजरूआ खास भूमि पर आवागमन का साक्ष्य नहीं पाया गया। जिस तरफ से जनता रास्ते का मांग कर रही है। दोनों पक्ष को नोटिस निर्गत करें। अंचल अधिकारी, नावाडीह।	
	तदनुसार नोटिस निर्गत किया गया। अभिलेख दिनांक 22.09.2022 को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी, नावाडीह।	
22.09.2022	अभिलेख उपस्थापित। तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। दोनों पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष द्वारा बतलाया गया कि भूमि संबंधी दस्तावेज हल्का राजस्व उपनिरीक्षक को उपलब्ध करा दिया गया है। दोनों पक्षों के बयान, उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेज से यह स्पष्ट होता है कि खाता सं0 133, प्लॉट सं0 1980, रकबा .... गैरमजरूआ खास भूमि है। द्वितीय पक्ष का जमाबंदी दर्ज नहीं है केवल फर्द रिर्पोट अमीन एवं एक रसीद द्वारा भूमि पर दावा कर रहे है। अतः द्वितीय पक्ष को आदेश दिया जाता है यदि ग्रामीणों को उक्त भूमि से होकर आने जाने में सुविधा हो रही है तो उन पर रोक नहीं लगायें। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। अंचल अधिकारी, नावाडीह।	

Digitally signed by ASHOK KUMAR SINHA
Date: 2023.01.20 12:08:01 +05:30
Location: 192.168.43.111

Scanned with CamScanner